प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः /पीए–सीआरडी/2009 दिनांकः 05, सितम्बर, 2009

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित योजनाओं के एम0आई0एस0 का संचालन जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से कराये जाने विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं से संबंधित कतिपय कार्य जैस–फोटोग्राफी, एम0आई0एस0 कार्यो की डाटा इन्ट्री/एम0आई0एस0 अपडेशन, मस्टररोल, जाब–कार्ड फीडिंग आदि कार्यो को नेशनल ई–गवर्ननेन्स प्लान के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे 17909 जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से कराया जा सकता है। इस प्रकिया से नरेगा के उपरोक्त कार्य आसानी से ग्राम पंचायतों के समीप कराये जा सकते हैं।

अपने अधीन कार्यरत कार्यकम अधिकारीगण/खण्ड विकास अधिकारीगण जिन्हें नरेगा में विकास खण्ड स्तर पर प्रमुख दायित्व सौंपे गए हैं, को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि नरेगा योजना के एम0आई0एस0 संचालन विषयक कार्य व अन्य योजनाओं में एम0आई0एस0 अपडेशन का कार्य इन जनसेवा केन्दों के माध्यम से कराया जा सकता है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 466(1)/पीए–सीआरडी/09 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन।
2– स्टेट को–आर्डिनेटर, सेन्टर फार ई–गवर्ननेन्स, उ0प्र0।
3– श्री गोप्रेश तिवारी, आई0एल0एफ0एस0, नेशनल लेविल सर्विस एजेन्सी, लखनऊ।
4– जनसेवा केन्द्र से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश के सर्विस सेन्टर एजेन्सीज।

Manoj 5-X-09

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।